

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937

No. 241]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

**विषय :- दिनांक 1 सितम्बर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के इक्कीसवें विधि आयोग का गठन।**

फा.सं. ए-45012/3/2015-प्रशा.।।।(वि.का.):— दिनांक 1 सितम्बर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के इक्कीसवें विधि आयोग के गठन के लिए एतद्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

- (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
  - (ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (एक सदस्य-सचिव सहित);
  - (iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, पदेन सदस्य के रूप में;
  - (iv) सचिव, विधायी विभाग, पदेन सदस्य के रूप में, और
  - (v) पांच से अनधिक अंशकालिक सदस्य
2. विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
3. पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्यों (सदस्य-सचिव सहित) और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

**पूर्णकालिक अध्यक्ष/सदस्य**

- (क) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश
- (i) वह उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, विधि आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेगा।



- (ii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कृत्यों का पालन करने में जो समय वह लगाएगा उसे -
- (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, समय-समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 2 (ख) (i) के; और
- (ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, समय-समय पर यथा-संशोधित, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 2 (ग) (i) के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक सेवा" माना जाएगा।
- आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (iii) वह अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान, आयोग के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए, यात्रा भत्ता उसी दर पर लेने का हकदार होगा जो उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुज्ञेय है।
- अन्य सभी मामलों में, उस पर -
- (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) नियम, 1959, और उसके अधीन बनाए गए अन्य नियम; और
- (ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) नियम, 1956, और उसके अधीन बनाए गए अन्य नियम लागू होंगे।
- (iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।
- (ख) पूर्णकालिक आधार पर पुनर्नियुक्त हुए उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- (i) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से और आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेगा।
- (ii) अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी :-
- (क) वह उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू दर से मासिक वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु यदि वह पेंशन या ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य सेवानिवृत्ति-लाभ के रूप में कोई सेवानिवृत्ति-लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो चुका है, तो उसके वेतन में से पेंशन या सेवा-ग्रेच्युटी के पेंशन समानक या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या सेवानिवृत्ति-लाभ के किसी अन्य रूप, यदि कोई हो, की कुल राशि को घटा दिया जाएगा। लेकिन इस गणना में उसके द्वारा प्राप्त किए जा चुके या प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के पेंशन समानक को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ख) वह ऐसे भत्ते और लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के लिए ग्राह्य हैं।
- (ग) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से, पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी सेवकों को लागू शर्तों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।
- (iii) वह आयोग में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टियों का नकद भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु ऐसे नकद भुगतान के लिए दिनों की कुल संख्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से उसकी सेवानिवृत्ति के समय और आयोग में उसके कार्यकाल की समाप्ति के समय को मिलाकर 300 दिन तक प्रतिबंधित रहेगी।
- (iv) आयोग का अध्यक्ष आयोग के सदस्यों को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और आयोग के अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होगा।
- (v) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।



(ग) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति

- (i) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से और आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेगा।
- (ii) उसे 80,000/- रु0 (नियत) प्रतिमास का वेतन प्राप्त होगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति की दशा में, उसे 80,000/- रु0 प्रतिमास से अनधिक वेतन (जिसमें पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का पेंशन समानक भी सम्मिलित है) प्राप्त होगा। वह समान वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकारी अधिकारी को देय भत्तों और अन्य निबंधनों व शर्तों का भी हकदार होगा।
- (iii) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से, पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी सेवकों को लागू शर्तों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।
- (iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।
- (v) वह केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुज्ञेय छुट्टियों का हकदार होगा। वह आयोग में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टियों के नकद भुगतान का हकदार होगा परंतु ऐसे भुगतान के लिए दिनों की संख्या सरकार से उसकी सेवानिवृत्ति के समय (सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के मामले में) और आयोग में उसके कार्यकाल की समाप्ति के समय को मिलाकर 300 दिन तक प्रतिबंधित रहेगी।

(घ) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव/सचिव

- (i) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव भारत सरकार के सचिव के रैंक का भारतीय विधि सेवा का सेवारत सदस्य होगा। सदस्य-सचिव की अनुपस्थिति में भारतीय विधि सेवा के अपर सचिव या संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी विधि आयोग के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(ङ.) अंशकालिक सदस्य/परामर्शदाता

- (i) अंशकालिक सदस्य/परामर्शदाता को रु.20,000/- प्रतिमास का मानदेय दिया जाएगा।
  - (ii) आयोग के कार्य के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए उन अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं को, जो गैर-सरकारी सदस्य हैं, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता देय होगा। जहां ऐसी यात्रा वायुयान से की जाती है, वहां यात्रा की श्रेणी अर्थात् इकानामी क्लास या एकजीक्वूटिव क्लास का निर्णय अध्यक्ष और सदस्य-सचिव/सचिव करेंगे। उन अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं के मामले में, जो सरकारी सेवक हैं, आयोग के कार्य की बाबत यात्रा के लिए यात्रा भत्ता सरकारी सेवकों के तौर पर उनके लिए लागू सुसंगत नियमों के अनुसार मिलेगा।
  - (iii) आयोग का अध्यक्ष अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं के यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा।
  - (iv) आयोग के अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं के मामले में वे स्थान जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, और जिनके बारे में पहले से सूचित किया गया हो, यात्रा-भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके मुख्यालय होंगे।
- (च) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य (सदस्य-सचिव को छोड़कर) अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में मध्यस्थ के तौर पर कार्य नहीं करेगा। तथापि, केंद्रीय सरकार, उनकी नियुक्ति के समय उनके पास लंबित माध्यस्थ कार्य को छह माह से अनधिक अवधि के भीतर पूरा करने की अनुमति दे सकेगी।

4. 21वें विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

क. अप्रचलित विधियों की समीक्षा/निरसन

- (i) उन विधियों की पहचान करना, जिनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है या जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।
- (ii) उन विधियों की पहचान करना, जो वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के माहौल के अनुरूप नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
- (iii) उन विधियों की पहचान करना, जिनमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता है और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

